रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20042022-235241
CG-DL-E-20042022-235241

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1795] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 20, 2022/चैत्र 30, 1944
No. 1795] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 20, 2022/CHAITRA 30, 1944

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2022

का.आ. 1886(अ).—केंद्रीय सरकार पर्यावरण और वन विभाग के पूर्ववर्ती मंत्रालय में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा (3) की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात ईआईए अधिसूचना, 2006 कहा गया है), परियोजनाओं की कतिपय प्रवर्ग के लिए पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी आज्ञापक बनाने के लिए, संख्या का.आ.1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित की है।

और राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एसईआईएए) का गठन प्रवर्ग ख के अधीन सभी प्रस्तावों के लिए पर्यावरण मंजूरी (ईसी) पर विचार और अनुदान के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करने हेतु राज्य स्तर पर ईआईए अधिसूचना, 2006 के कार्यान्वयन के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उप-धारा (3) के अधीन किया गया है;

और राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण ने पर्यावरण मंजूरी मूल्यांकन प्रक्रिया में पिछले पंद्रह वर्षों में पर्याप्त अनुभव प्राप्त किया है और राज्य स्तर पर पर्यावरण मंजूरी प्रस्तावों के कुशल और पारदर्शी निपटान के लिए परिवेश पोर्टल के माध्यम से पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है;

और केंद्रीय सरकार राज्य स्तर पर मंजूरी की प्रसुविधा के लिए पर्यावरण मंजूरी प्रक्रिया को और विकेंद्रीकृत करना आवश्यक समझती है;

और आज की तारीख में, सुरक्षा भागीदारी के महत्वपूर्ण तत्वों के साथ राष्ट्रीय रक्षा और सामरिक महत्व से संबंधित प्रवर्ग ख की परियोजनाओं का राज्य स्तर पर भी मूल्यांकन किया जा रहा है, जिसे केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय रूप से मूल्यांकन करना आवश्यक समझती है;

अतः अब, केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नियमों के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा को समाप्त करने के पश्चात, लोकहित में भारत सरकार की तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006,की अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में-

(1) पैरा 4 में, उप-पैरा (iii क) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्: -

(iii क) राष्ट्रीय रक्षा या सामरिक या सुरक्षा महत्व से संबंधित हैं या जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा संकटकाल जैसे महामारी, प्राकृतिक आपदाओं जैसी अत्यावश्यकताओं के कारण ऐसी प्रवर्ग 'ख' परियोजनाओं को अधिसूचित किया गया है या राष्ट्रीय कार्यक्रमों या स्कीमों या मिशन या ऐसी परियोजनाओं के अधीन पर्यावरण के अनुकूल क्रियाकलापों का संवर्धन करने के लिए जो इस अधिसूचना में यथा अधिकथित समय-सीमा से अधिक विलंबित हैं और समय-समय पर इस संबंध में यथा-अधिकथित मानदंडों को पूरा करती हैं, उन्हें केंद्रीय स्तर पर प्रवर्ग 'ख' परियोजनाओं के रूप में विचार किया जाएगा;

(2) अनुसूची में, -

(i) मद 1(क) के सामने,-

(क) स्तंभ (3) में, -

(क) गैर-कोयला खनन पट्टे के संबंध में "> 100 हेक्टेयर खनन पट्टा क्षेत्र" के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्: -

"कोयले के अलावा अन्य प्रमुख खनिज खनन पट्टे के संबंध में >250 हेक्टेयर खनन पट्टा क्षेत्र";

(ख) ">150 हेक्टेयर" प्रतीक, अंक और अक्षर के स्थान पर, "> 500 हेक्टेयर" प्रतीक, आंकड़े और अक्षर रखे जाएंगे;

(ख) स्तंभ (4) में, -

(क) गैर-कोयला खनन के संबंध में <100 हेक्टेयर खनन पट्टा क्षेत्र के स्थान पर,

पट्टा", निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्: -

"लघु खनिज खनन पट्टों के संबंध में सभी खनन पट्टा क्षेत्र और कोयले के अलावा अन्य प्रमुख खनिज खनन पट्टे के संबंध में <250 हेक्टेयर खनन पट्टा क्षेत्र";

(ख) "<150 हेक्टेयर" के प्रतीकों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "<500 हेक्टेयर" के प्रतीक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ii) मद 1(ग) के सामने, -

(क) स्तंभ (3) में, -

(क) क्रम संख्या (i) में, "> 50 मेगावाट, प्रतीकों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "> 100 मेगावाट "प्रतीक, आंकड़े और अक्षर रखे जाएंगे;

(ख) क्रम संख्या (ii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(ख) स्तंभ (4) में, -

(क) क्रम संख्या (i) में, "<50 मेगावाट' प्रतीक, अंक और अक्षर के स्थान पर, "<100 मेगावाट' प्रतीक, आंकड़े और अक्षर रखे जाएंगे;

(ख) क्रम संख्या (ii) में, -

(I) "और <50,000 हेक्टेयर" शब्द, प्रतीक और अंक का लोप किया जाएगा;

(II) बिंदु (ग) में सारणी में, "से <50,000" शब्द, प्रतीक और अंक का लोप किया जाएगा; ।

IndiaCode

(ग) स्तंभ (5) में, क्रम संख्या (ii) के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(iii) अंतर-राज्यीय मुद्दों से संबंधित सिंचाई परियोजनाओं का मूल्यांकन केंद्रीय स्तर पर श्रेणी में परिवर्तन के बिना किया जाएगा।";

(iii) मद 1(घ) के सामने,-

(क) स्तंभ (3) में, "> 50 मेगावाट" प्रतीकों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "> 100 मेगावाट" प्रतीकों, अंकों और अक्षरों को रखा जाएगा;

(ख) स्तंभ (4) में, "<50 मेगावाट' प्रतीक, अंक और अक्षर के स्थान पर, "<100 मेगावाट" प्रतीक, आंकड़े और अक्षर रखे जाएंगे;

(iv) मद 2(क) के सामने, -

(क) स्तंभ (3) में, ">1" प्रतीकों और अंक के स्थान पर, ">2.5 "प्रतीकों और अंक को रखा जाएगा;

(ख) स्तंभ (4) में, "<1" प्रतीकों और अंक के स्थान पर, "< 2.5" प्रतीक और अंक रखे जाएंगे;

(ग) स्तंभ (5) में,विद्यमान पैरा के पश्चात, निम्नलिखित पैरा अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"खनन पट्टा क्षेत्र के भीतर स्थित धुलाई मशीनों के साथ एकीकृत कोयला खनन परियोजनाओं को कोयला खनन परियोजनाओं के लिए विद्यमान सीमा के अनुसार केंद्रीय स्तर या राज्य स्तर पर, यथास्थिति, विचार किया जाना जारी रहेगा।";

(v) मद 2 (ख) के सामने, -

(क) स्तंभ (3) में,विद्यमान प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(ख) स्तंभ (4) में, "<0.5 मिलियन टीपीए का उत्पादन" प्रतीक, अंक, शब्द और अक्षर के स्थान पर, "सभी खनिज परिष्करण परियोजना, परिष्करण की प्रक्रिया पर ध्यान दिए बिना" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) स्तंभ (5) में,विद्यमान पैरा के पश्चात, निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा,

अर्थात्: -

"भीतर स्थित लाभकारी संयंत्रों के साथ एकीकृत खनन परियोजनाएं खनन पट्टा क्षेत्र पर केन्द्रीय स्तर पर विचार किया जाता रहेगा या यथास्थिति, राज्य स्तर, खनन परियोजनाओं के लिए विद्यमान सीमा के अनुसार।";

(vi) मद 7 (क) के सामने,-

(क) स्तंभ (3) में, "सभी परियोजनाओं" शब्दों के स्थान पर "सभी नई परियोजनाएं" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) स्तंभ (4) में, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"सभी विस्तार परियोजनाएं, जिनमें हवाई पट्टियां भी सम्मिलित हैं, जो वाणिज्यिक उपयोग के लिए हैं।"

[फा. सं. आईए 3-22/10/2022-आईए. III]

डॉ. सुजीत कुमार बाजपेयी, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड III, उप-खंड (ii), संख्या का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्या का.आ. 1807(अ), तारीख 12 अप्रैल, 2022 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था ।

IndiaCode

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th April, 2022

S.O. 1886(E).—WHEREAS, the Central Government in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, in exercise of its powers under sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section (3) of the Environment (Protection) Act, 1986 has published the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (hereinafter referred to as the EIA Notification, 2006), vide number S.O.1533 (E), dated the 14th September, 2006 for mandating prior environmental clearance for certain category of projects;

And whereas, the State Environment Impact Assessment Authorities (SEIAAs) have been constituted under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 for implementation of the EIA Notification, 2006 at State level for exercising delegated powers to consider and grant Environmental Clearance (EC) for all proposals under Category B;

And whereas, the SEIAAs have gained substantial experience over the past fifteen years in the EC appraisal process and the process at the State level has also been made completely online through the PARIVESH portal for efficient and transparent disposal of EC proposals;

And whereas, the Central Government deems it necessary to further decentralise the EC process for facilitating clearances at State level;

And whereas, as on date, category 'B' projects, relating to national defence and strategic importance with significant element of security involvement are also being appraised at the State level which, the Central Government deems it necessary to be appraised centrally taking into account national security concerns;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986),read with sub-rule(4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government, after having dispensed with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the said rules, in public interest, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, namely:-

In the said notification,-

(1) in paragraph 4, for sub-paragraph (iii a), the following shall be substituted, namely:-

(iii a) Such Category 'B' projects, relating to the National defence or strategic or security importance or those as notified by the Central Government on account of exigencies such as pandemics, natural disasters or to promote environmentally friendly activities under National Programmes or Schemes or Missions or such projects which are inordinately delayed beyond the stipulated timeline as laid down in this notification and also meet the criteria as laid down in this regard from time to time, shall be considered at the Central level as Category 'B' projects;

(2) in the Schedule,–

(i) against item 1(a),–

(a) in column (3),–

(A) for ">100 ha. of mining lease area in respect of non-coal mining lease", the following shall be substituted, namely:–

">250 ha mining lease area in respect of major mineral mining lease other than coal";

(B) for the symbol, figures and letters "> 150 ha", the symbol, figures and letters "> 500 ha" shall be substituted;

(b) in column (4),–

(A) for "≤ 100 ha of mining lease area in respect of non-coal mine lease", the following shall be substituted, namely:–

"All mining lease area in respect of minor mineral mining leases and ≤ 250 ha mining lease area in respect of major mineral mining lease other than coal";

(B) for the symbols, figures and letters "≤ 150 ha", the symbols, figures and letters "≤ 500 ha" shall be substituted;

(ii) against item 1(c),–

(a) in column (3),–

(A) in serial number (i), for the symbols, figures and letters "≥ 50 MW", the symbols, figures and letters "≥100 MW" shall be substituted;

(B) serial number (ii) and the entries relating thereto shall be omitted;

(b) in column (4),–

(A) in serial number (i), for the symbol, figures and letters "< 50 MW", the symbol, figures and letters "< 100 MW" shall be substituted;

(B) in serial number (ii),–

(I) the word, symbol and figures "and < 50,000 ha." shall be omitted;

(II) in point (c) in the table, the word, symbol and figures "to < 50,000" shall be omitted;

(c) in column (5), after serial number (ii), the following serial number shall be inserted, namely:–

"(iii) Irrigation projects involving Inter-State issues shall be appraised at Central level without change in category.";

(iii) against item 1(d),–

(a) in column (3), for the symbols, figures and letters "≥ 50 MW", the symbols, figures and letters "≥100 MW" shall be substituted;

(b) in column (4), for the symbol, figures and letters "< 50 MW", the symbol, figures and letters "< 100 MW" shall be substituted;

(iv) against item 2(a),–

(a) in column (3), for the symbols and figure "≥1", the symbols and figures "≥ 2.5" shall be substituted;

(b) in column (4), for the symbols and figure "<1", the symbols and figures "< 2.5" shall be substituted;

(c) in column (5), after the existing paragraph, the following paragraph shall be inserted, namely:–

"Integrated coal mining projects with washeries located within mining lease area shall continue to be considered at Central level or State level, as the case may be, as per the extant threshold for coal mining projects.";

(v) against item 2 (b),–

(a) in column (3), the existing entries shall be omitted;

(b) in column (4), for the symbol, figures, words and letters "< 0.5 million TPA throughput", the words "All mineral beneficiation projects irrespective of the procedure for beneficiation" shall be substituted;

(c) in column (5), after the existing paragraph, the following paragraph shall be inserted, namely:–

"Integrated mining projects with beneficiation plants located within mining lease area shall continue to be considered at Central level or State level, as the case may be, as per the extant threshold for mining projects.";

(vi) against item 7 (a),–

(a) in column (3), for the words "All projects", the words "All new projects" shall be substituted;

IndiaCode

(b) in column (4), the following shall be inserted, namely:–

"All expansions projects, including airstrips, which are for commercial use.".

[F. No. IA3-22/10/2022-IA.III]

Dr. SUJIT KUMAR BAJPAYEE, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section III, sub-section (ii), vide, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and was last amended, vide, the notification number S.O. 1807(E), dated the 12th April, 2022.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA